सत्यमेव जयते

प्रशासनिक प्रतिवेदन
2025—26

राजस्थान सरकार
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन 2025–26

1. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का कार्य एवं उद्देश्य – पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्य निम्न प्रकार निर्धारित किए गये हैं:–

   (क) पर्यावरण और पारिस्थितिकी से सम्बन्धित मामलों के लिए प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करना।

   - पारिस्थितिकी सन्तुलन का परिरक्षण।
   - पर्यावरण से सम्बन्धित मामलों पर अनुसंधान और अध्ययन।
   - पर्यावरण से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सम्बन्धित क्रियाकलाप।
   - प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से पर्यावरण चेतना जागृत करना।

   (ख) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं सांभर लेक मैनेजमेंट एजेंसी से सम्बन्धित समस्त मामलों का निवारण और नियंत्रण।

   (ग) कार्मिक, सामान्य प्रशासन, वित्त और वन विभाग को सौंपे गए मामलों को छोड़कर विभाग के अधीन प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्त मामले।

2. संगठनात्मक रचना –

   - पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन विभाग का गठन वर्ष 1983 में किया गया था।
   - वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं।
   - पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में शासन सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, उप निदेशक, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद सृजित हैं।

- विभाग का प्रशासनिक ढांचा एवं सृजित पद निम्नानुसार हैं:–

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का संगठनात्मक ढांचा

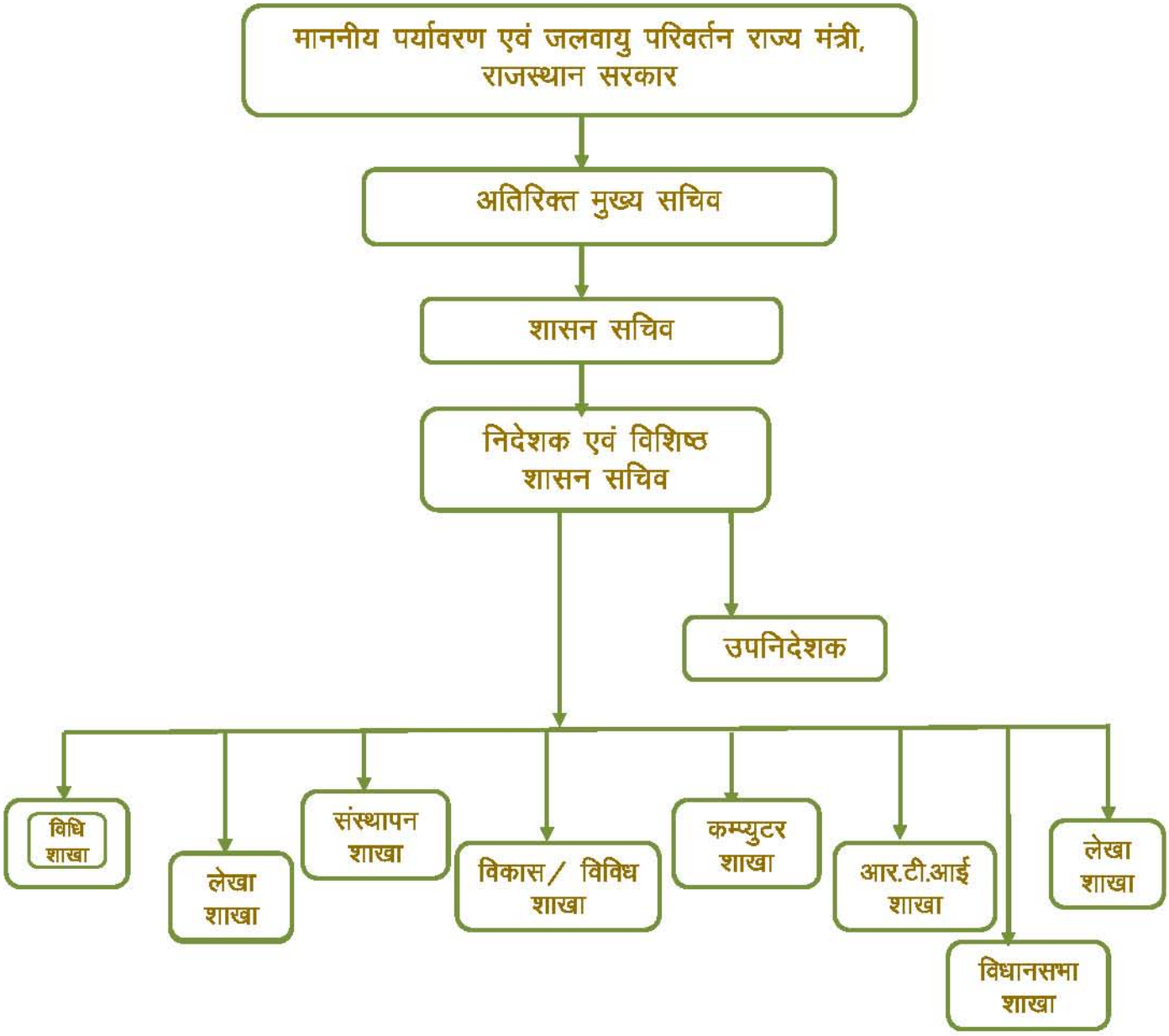

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय में स्वीकृत पदो का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	पद पर कार्यरत	रिक्त पद
1.	निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव	1	1	0
2.	वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता	1	0	1
3.	उप निदेशक (पर्या)	1	0	1
4.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	0
5.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
6.	प्रोग्रामर	2	2	0
7.	सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड–।।)	1	1	0
8.	कनिष्ठ लेखाकार	1	0	1
9.	अति0 प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
10.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
11.	निजी सहायक	2	0	2
12.	वरिष्ठ सहायक	2	0	2
13.	सूचना सहायक	1	1	0
14.	कनिष्ठ सहायक	2	0	2
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	0	3
योग		21	7	14

वर्ष 2019–20 के दौरान अधिसूचना दिनांक 04.09.2019 के द्वारा पर्यावरण विभाग का नाम पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन किया गया है। निदेशाालय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को विभिन्न अधिनियम/नियम को लागू

करने एवं पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियों में सहयोग करेगा।

3. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नीतिगत निर्णयों पर क्रियान्वयन की कार्यवाही निम्नानुसार की गई–

3.1 राज्य पर्यावरण नीति 2010 के क्रियान्वयन का नियमित प्रबोधन :

राज्य पर्यावरण नीति 2010 के कार्यकारी बिन्दुओ से सम्बन्धित क्रियान्विति रिपोर्ट विभिन्न विभागो से समय–समय पर प्राप्त कर उनका संकलन कर प्रबोधन किया जा रहा है।

3.2 प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध :

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 जारी कर दिनांक 01 अगस्त 2010 से राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा राज्य को "प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र" घोषित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए गये। अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 में संशोधन किया गया है जिसके द्वारा "Compostable plastic" के कैरी बैग्स को अनुमति दी गई है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.08.2021 को 19 चिन्हित Single Use Plastic पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। भारत सरकार के निर्देशो के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में Special Task Force गठित की गई है, जिसमे शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग को सदस्य सचिव

को नियुक्त किया गया। Special Task Force की कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित स्वायत शासन विभाग द्वारा की जा रही है।

3.3 फसल कटाई के बाद बचे हए भूसे को जलाने पर प्रतिबन्ध

राज्य सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.08.2015 से राज्य में फसल कटाई के बाद उसके बचे हुए भूसे को जलाने पर समस्त राज्य में प्रतिबन्धित कर दिया गया है। भूसे को जलाने की घटना पर कृषि विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है।

3.4 राज्य में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के सतत् विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति आवेदन पत्रों के **online submission** तथा **disposal** की सुविधा को और बेहतर बनाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अपने एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया गया। सम्मति के आवेदन पत्रों को ऑनलाईन जमा (ई–मित्र कियोस्क द्वारा) कराने की सुविधा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के एम.आई.एस द्वारा दिनांक 19.11.2014 से प्रारम्भ की गई थी। आवेदनो का निस्तारण त्वरित गति से किया जा रहा है।

3.5 जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2016 तथा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के अन्तर्गत ऑथोराइजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा

(ई–मित्र कियोस्क द्वारा) कराने की सुविधा राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 20.08.2015 से प्रारम्भ की जा चुकी है।

3.6 राज्य मण्डल द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन कर आवेदन पत्र एवं शुल्क विवरण का सरलीकरण तथा वैधता अवधि में विस्तार किया गया। साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी हरी श्रेणी (Green Category) में वर्गीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों जिनका कुल पूंजी निवेश 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, उनको सम्मति आवेदन पत्र के जमा कराने की रसीद को राज्य मण्डल द्वारा सम्मति माना जायेगा। इन उद्योगों को यह आवेदन पत्र एक बार ही जमा कराना होगा एवं हरी श्रेणी के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के सम्मति नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

यह सम्मति आवेदन दिनांक 01/12/2015 से ऑनलाईन जमा कराये जाने की सुविधा एवं पावती पत्र को उद्योग इकाई के पंजीकृत ई मेल आईडी पर मेल द्वारा प्रेषित करने की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है, जिसका प्रिंट आउट कहीं से भी लिया जा सकता है। ऑनलाईन पावती पत्र पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त उद्यमियों की सुविधा, प्रक्रिया के सरलीकरण एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में राज्य मण्डल के मुख्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न सम्मति/प्राधिकार एवं पंजीयन जारी करने की शक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई। यथा 50 के.एल.डी. से कम उच्छिष्ट निस्त्राव करने वाली

टैक्सटाइल इकाइयों के प्रकरणों का निस्तारण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है।

3.7 मोबाइल 'ऐप' राज वायुः–

राज्य मण्डल द्वारा "राज वायु" नामक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी हेतु मोबाईल 'ऐप' 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। इस मोबाईल 'ऐप' पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक की विभिन्न रंगों के आरेख के रूप में जानकारी प्रदर्शित की जाती है। यह मोबाईल 'ऐप' यूनिसेफ, राजस्थान, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान एवं भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है।

3.8 आवा–कजावा तकनीक पर आधारित परम्परागत भट्टों हेतु मार्ग–दर्शिकाः–

राज्य मण्डल द्वारा कुम्हारों द्वारा परम्परागत तकनीक पर आधारित आवा–कजावा पद्धति के माध्यम से छोटे पैमाने पर मिट्टी के बर्तन, केलु व ईंटों के निर्माण हेतु दिनांक 12.07.2016 को मार्गदर्शिका जारी की गई।

3.9 सी.ई.टी.पी. हेतु मार्गदर्शिकाः–

राज्य में स्थापित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों के प्रभावी प्रबंधन हेतु राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 14.12.2016 को मार्गदर्शिका जारी की गई। इस मार्गदर्शिका द्वारा पूर्व में स्थापित एवं भविष्य में स्थापित होने वाले संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों, इन्हें संचालित करने वाली एजेन्सी/ट्रस्ट तथा सदस्य इकाइयों हेतु पृथक–पृथक दिशा–निर्देश अधिसूचित किये गये हैं।

3.10 सम्मति वैधता अवधि में बढोतरीः–

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2016 के द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन कर सम्मति वैधता अवधि में विस्तार करते हुए लाल श्रेणी के उद्योगों को 5 वर्ष, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को 15 वर्ष के लिए सम्मति जारी करने का प्रावधान किया गया है, उक्त श्रणियों में पूर्व में सम्मति की वैद्यता क्रमशः 3, 5 एवं 10 वर्ष थी। इसके अतिरिक्त कम प्रदूषणकारी उद्योगों को श्वेत श्रेणी में वर्गीकृत कर इनकी सम्मति लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया हैं।

4. वर्ष 2025–26 की उपलब्धियां

प्रचार–प्रसार हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यः–

(अ) पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु निम्नानुसार बजट आवंटित है :–

<u>आयोजना मद</u>

3435 – पारिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

03 – पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूद्ध भवन

102 – पर्यावरणीय योजना और समन्वय

01 – पर्यावरण सुधार

11 – विज्ञापन, विक्रय एवं प्रसार राशि रु. – 28.24 लाख

नवम्बर, 2025 तक व्यय राशि रु. – 28.24 लाख

उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत तीन अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों यथा पृथ्वी दिवसः 22 अप्रेल, विश्व पर्यावरण दिवसः 5 जून एवं ओजोन परत संरक्षण दिवसः 16 सितम्बर के अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता संबंधी संदेश प्रकाशित कराये गये।

मकर संक्रान्ति के अवसर पर पंतग उडाने हेतु चाइनीज मांझे, धातु से निर्मित धागे, कांच एवं लोहे के पाउडर से निर्मित मांझे का उपयोग न करने हेतु जनता में जागरूकता लाने के लिए समाचार पत्रों में संदेश प्रकाशित कराये गये।

5. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख दिवसों पर पर्यावरणीय कार्यक्रम आयोजित कराए गए हैं :

आर्द्रभूमि दिवस	2 फरवरी, 2025
पृथ्वी दिवस	22 अप्रैल, 2025
विश्व पर्यावरण दिवस	5 जून, 2025
ओजोन परत संरक्षण दिवस	16 सितम्बर, 2025

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रत्येक दिवस के आयोजन मीडिया के माध्यम से जन जागृति हेतु कार्यक्रम कराये गये।

6. राज्य स्तरीय राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार :
राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों के क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को "राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार" प्रदान किये जाने का प्रावधान है। उक्त पुरस्कार में राशि रु 5 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी–संगठन/संस्थान को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय

कार्य हेतु, राशि रुपये 3.00 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को–पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु एवं राशि रुपये 2 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी–व्यक्ति विशेष को जिसने पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है को प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

7. जिला पर्यावरण समितियां :

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थायी जिला पर्यावरण समितियां गठित की गई है। जिला पर्यावरण समितियों के द्वारा जिले की पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श कर निदान किया जाता है, समितियों के माध्यम से विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितम्बर को पर्यावरण चेतना कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

8. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल :

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा जल की गुणवता को बनाये रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा 11 सितम्बर 1975 को किया गया था। वर्तमान में पर्यावरण संबंधी अधिनियमों/नियमों को लागू करने का कार्य राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया जाता है। मंडल में अध्यक्ष पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं सदस्य सचिव के पद पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी कार्यरत है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का प्रशासनिक नियंत्रण पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का पुर्नगठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 2016 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं

नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की विभिन्न उप धाराओं के अन्तर्गत तीन वर्ष तक के लिए किया गया है।

9. राजस्थान राज्य जैव–विविधता बोर्ड :

राजस्थान राज्य जैव–विविधता बोर्ड का गठन जैव–विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना प. 4(8)1/2005/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 14.09.2010 द्वारा किया गया था। यह बोर्ड राज्य की जैव विविधता के संरक्षण एवं जैव–विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों की नियामक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

प्रदेश की जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जन चेतना जागृत करने के उद्देश्य से प्रदेश एवं संभागीय मुख्यालयों पर आमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही पुस्तक, पोस्टर्स, स्टीकर्स एवं पोस्टकार्ड इत्यादि सहायक प्रचार सामग्री के माध्यम से युवा पीढ़ी को जैव विविधता के महत्व एवं इसके संरक्षण से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। दिनांक 22.05.2020 को अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का समारोह जिला मुख्यालयों एवं जयपुर में मनाया गया।

दिसम्बर, 2017 तक जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता प्रंबध समितियों का गठन किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं/नियमों का क्रियान्वयनः भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं/नियमों आदि की पालना विभिन्न विभागों, संस्थाओं, मंडलों के माध्यम से करवाई जाती है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मुख्यतः निम्नांकित अधिनियमों एवं नियमों की पालना संबंधी कार्यवाही करवाई जाती है :–

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं नियम, 1986
2. जल (प्रदूषण का निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं नियम, 1975
3. वायु (प्रदूषण का निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं नियम, 1983
4. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिनियम, 2006
5. अरावली अधिसूचना, 1992, यथा संशोधित
6. फ्लाई ऐश अधिसूचना, 1999, यथा संशोधित
7. वैटलेंड अधिसूचना, 2017
8. जैव विविधता अधिनियम, 2002 एंव राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010
9. प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
10. ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
11. जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
12. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
13. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016
14. ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 1999 को अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को अलवर जिले में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के तहत पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया था। पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अतिरिक्त

मुख्य सचिव, पर्यावरण की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति को परीक्षण एवं अभिशंसा हेतु प्रस्तुत किये जाते है।

10. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान :

भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई, 2008 के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (State Level Environment Impact Assessment Authority) राजस्थान का गठन किया गया। उक्त प्राधिकरण/समिति का कार्यकाल दिनांक 12.10.2024 को पूर्ण होने पर नवीन प्राधिकरण एवं समिति का पुनर्गठन दिनांक 10.12.2024 को किया जा चुका है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना 10.12.2024 से चार State Environment Appraisal Committe गठित की गई, जो Category B1 एवं B2 के प्रोजेक्टस् का निष्पादन करती है। SEIAA/SEAC द्वारा EIA Notification 2006 के प्रावधानों के अनुसार खनन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, उद्योग, अन्य निर्माण आदि के प्रस्तावों का परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाती है।

11. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की वेबसाईट और एम.आई.एस सॉफ्टवेयरः

- सम्मति व ऑथोराइजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने व ट्रेकिंग की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर चालू किया जा चुका है।
- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का नया पोर्टल माह दिसम्बर 2015 से चालू हो गया है। जिसमें पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

विभाग, जैव विविधता बोर्ड एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाइट एक पोर्टल में उपलब्ध है।

- नवम्बर 2023 से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का Twitter/X सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया है जो कि नियमित रूप से कार्य कर रहा है।

12. अत्याधिक प्रदूषक उद्योगों के अन्तिम निकास एवं चिमनी उत्सर्जन पर ऑन लाईन मोनिटरिंग की व्यवस्थाः–

राज्य में चिन्हित अत्याधिक प्रदूषक उद्योगों के उपचारित वेस्ट वाटर एवं चिमनी से उत्सर्जित गैसों में प्रदूषकों की मात्रा की निगरानी हेतु ऑन लाईन मोनिटरिंग सिस्टम लगाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 169 उद्योगों द्वारा ऑन लाईन मोनिटरिंग की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है।

13. क्लोथ वेण्डिंग मशीनः–

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा देश में पहली बार क्लोथ वेण्डिंग मशीन को विकसित किया गया है, इस मशीन में 5 रूपये का सिक्का डालने पर कपड़े के दो बैग प्राप्त हो जायेंगे। राज्य मण्डल के सहयोग से जयपुर, अजमेर एवं कोटा में ऐसी एक–एक मशीन परीक्षण के तौर पर स्थापित की जा रही है। इस पहल से पोलीथीन की थैलियों का विकल्प सुलभ होने से पोलीथीन की थैलियों के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

14. सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों की स्थापनाः–

राज्य मण्डल द्वारा राज्य में 34 शहरों में कुल 46 सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

इन स्थानों पर वायु गुणवत्ता की जांच हेतु सल्फर डाई ऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x), विविक्त पदार्थ– PM_{10} एवं $PM_{2.5}$, ओजोन (O_3), कार्बन मोनो ऑक्साइड (CO), अमोनिया (NH_3) एवं बेन्जीन (C_6H_6), के अतिरिक्त वायु मण्डल में वायु मण्डलीय दबाव, सापेक्षिक आर्द्रता, वायु गति, तापमान, सोलर रेडिएशन, वायु की दिशा, उर्ध्व वायु गति इत्यादि की सतत् जांच की जाती है एवं परिणामों को प्रबोधन केन्द्रों पर स्थापित सूचना पट्टिका पर सतत् प्रदर्शन भी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीयकृत सूचना पट्टिका जयपुर में रामबाग सर्किल पर भी स्थापित की गई है। इस पट्टिका पर उपरोक्त सभी स्थानों के वायु गुणवत्ता के परिणाम प्रदर्शित किये जाते है। इसके अतिरिक्त उक्त परिणामों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को भी सतत् प्रेषित किया जाता है तथा एयर क्वालिटी इण्डेक्स जारी की जाती है।

मण्डल द्वारा समस्त जिला मुख्यालय पर केन्द्रो की स्थापना की गई है। साथ ही दो मोबाईल वाहन भी उपकरणों से सुसज्जित किये गये है, जो जिलो में जाकर मापन कार्य करते है।

15. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 अनुसार थर्मल पावर प्लांटस के ऐश पोंडस में उपलब्ध (उपयोग में नहीं लाई गई) फ्लाई–ऐश को ईंट निर्माताओं को ईंट निर्माण के लिए फ्लाई–ऐश की आवश्यकता होने पर फ्लाई–ऐश कोई शुल्क वसूले बगैर एवं

बिना किसी व्यवधान के उपलब्ध कराने की व्यवस्था कायम करने के निर्देश जारी किए गए।

16. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वितीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए की गई घोषणाएं निम्नानुसार हैः–

- 'Green Co-rating Scheme' के अन्तर्गत Health Care Facility, Hotels एवं Group Housing Projects को भी सम्मिलित किया जाकर validity तथा Fees के प्रावधानों के तहत लाभ दिये गये है।
- जयपुर एवं जोधपुर में Rajasthan State Pollution Control Board के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किये जा रहे है।
- Secretary-in-Charge, Department of Environment and Climate Change की नियुक्ति Adjudicating Officers के रूप में की गई है।
- उद्यमियों को paid sampling की सुविधा प्रदान करने के लिए बांसवाड़ा, बूंदी, हनुमानगढ़, झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनूं, नागौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर व सिरोही में Labs की स्थापना की जा रही है,साथ ही, सभी Labs को NABL से प्रमाणित कराया जा रहा है।
- प्लास्टिक से पर्यावरण एवं वन्यजीवों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, Conservation Reserves, आरक्षित एवं रक्षित वन क्षेत्रों में 'single use plastic' पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जायेगा। विभिन्न पर्यटन/सार्वजनिक स्थलों पर 50 Plastic Bottle Flaking/Reserve Vending Machines की स्थापित की जा रही है।

- प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु शहरों में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर एवं भिवाड़ी में भी Early Warning Systems विकसित किये जा रहे है।

17. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.11.2019 को आदेश जारी कर राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (स्टेट वेटलैण्ड ऑथोरिटी) का गठन आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रावधान अनुसार किया गया है। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा 75 चिन्हित आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किया जा चुका है।

18. सांभर लेक मैनेजमेंट एजेन्सी

माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन "सांभर लेक मैनेजमेंट एजेन्सी" का गठन दिनांक 18.10.2021 को किया गया है। एजेन्सी को Rajasthan Society Act, 1958 के तहत पंजीयन कराया गया है। एजेन्सी का मुख्य उद्देश्य सांभर लेक का एकीकृत प्रबंधन है।

19. **Eliminaton of Single Use Plastic**

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को राजपत्र अधिसूचना जारी की गई जिससे 1 जुलाई, 2022 से निम्न single use plastic वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भण्डारण, बेचने को प्रतिबंधित किया गया है:–

(क) ''प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पॉलीस्टाइरिन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री''।

(ख) ''प्लेटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द–गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोम से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी वी सी बैनर, स्ट्रीप''।

- उपरोक्त वस्तुओं का प्रतिबंध कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

20. उपरोक्त Single Use Plastic की वस्तुओं को हटाने के लिए भारत सरकार के निर्देश अनुसार 1 जुलाई 2021 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में स्पेशल टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा Elimination of Single Use Plastic का Action Plan पर्यावरण विभाग द्वारा बनाया गया है और MoEF & CC को भिजवा दिया गया है साथ ही Action Plan को सभी विभागों में लागू करने के लिए भिजवाया गया है।

- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा उद्योग विभाग को इन प्रतिबंधित प्लास्टिक आईट्म के विकल्प खोजने को कहा गया है।

21. **State Wetland Authority (SWA)**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26 सितम्बर, 2017 से आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 की अनुपालना में बिंदु संख्या 5(1) के तहत राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन दिनांक 27.11.2019 को किया गया है। राजस्थान राज्य

आर्द्रभूमि प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राजस्थान सरकार हैं एवं उपाध्यक्ष मुख्य सचिव महोदय है।

आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अनुसार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के प्रमुख कार्य निम्निलिखित है–

1. राज्य की सभी आर्द्रभूमियों को सूचियों के अनुसार अधिसूचित करना ।
2. समयबद्ध तरीके से आर्द्रभूमियों को सूचियों के अनुसार अधिसूचित करना एवं उनके संक्षिप्त दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात आर्द्रभूमियों की संस्तुति करना।
3. सभी आर्द्रभूमियों की व्यापक डिजीटल सूची तैयार करना।
4. अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर विनियमित और अनुज्ञात किये जाने वाले कार्यकलापों और उनके प्रभाव क्षेत्र की विस्तृत सूची विकसित करना।
5. प्राधिकरण द्वारा सभी जिलों में वेटलैण्ड रूल्स के तहत वेटलैण्ड्स का चिन्हिकरण कर नोटिफिकेशन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं प्रबन्ध योजना तैयार करने को कहा गया है। ISRO द्वारा जारी वेटलैण्ड एटलस में 2.5 हैक्टेयर से बडे वेटलैण्ड 12625 वेटलैण्ड को प्राथमिकता दी जायेगी। दिनांक 02.02.2022 को वेटलैण्ड दिवस सभी जिलों में मनाया गया एवं विभिन्न गतिविधियॉ आयोजित की गयी। ऑथोरिटी द्वारा 100 चिन्हित वेटलैण्ड को State Remote Sensing Application Centre Jodhpur के माध्यम से Digitised maps तैयार किये जा चुके है।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण सिविल अपील संख्या 1359/2017 "टेची टागी तारा बनाम राजेन्द्र सिंह भण्डारी" में जारी आदेश के अन्तर्गत

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव पद पर नियुक्ति हेतु नियमों को अधिसूचित कर तदानुसार नियुक्ति करने हेतु निर्देशित किया गया है।

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2021 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव पद पर नियुक्ति हेतु नियमों की अधिसूचना जारी की गई।

2. इस क्रम में उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता मे ''सर्च कम सलेक्शन कमेटी'' के गठन के आदेश दिनांक 13 अगस्त 2021 को जारी किये गये।

3. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गयें।

4. "सर्च कम सलेक्शन कमेटी'' की बैठक का आयोजन कर उक्त पदो पर नियुक्ति की गई है।

23. राज्य में सूचना प्रोद्योगिकी के विकास के साथ बढते इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु एक 'इंटिग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क' की स्थापना की गई है। जिसके अर्न्तगत E-Waste, Plastic Waste,Battery Waste इत्यादि के निस्तारण हेतु 100 पुनः चक्रण इकाईयों की स्थापना का प्रवाधान किया गया है। जिसके लिए जमवारामगढ के ढोलाई औद्योगिक क्षेत्र में 48 है0 भूमि आंवटन किया गया है तथा Zoning का कार्य किया गया है।

24. भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के पांच शहरों (जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर एवं उदयपुर) को वायु गुणवत्ता के आधार पर Non Attainment cities के रूप में चयनित कर फंड आवंटित किय गये है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक कार्य नीति तैयार कर उक्त शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार के निरंतर प्रयास किये जा रहे है।

25. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु विभिन्न निर्देश जारी किये गये है। जिनकी अनुपालना में निर्धारित प्रारूपों में मासिक रिपोर्ट तैयार कर आयोग को प्रेषित की जा रही है। इसी क्रम में आयोग द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों के क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा NCR क्षेत्र में पौधे रोपित किये गये है।

26. साथ ही मौजुदा वायु गुणवत्ता के आधार पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट ग्रेडेड रिस्पोंस एक्शन प्लान का जिला प्रशासन स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है।

27. बजट वर्ष 2025-26 :

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का वर्ष 2025–26 के लिए राज्य निधि (Other Than Scheme) मद में राशि रू 113.12 लाख तथा Scheme मद में राशि रू 465.57 लाख का प्रावधान रखा गया है। वर्षवार व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:–

वास्तविक व्यय

आयोजना व्यय (रूपये लाखों में)
(2021–22 से 2025–26 तक)

क्रं.सं.	मदवार विवरण	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	Up to November 2025
1	वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते	63.75	333.97	54.53	33.04	24.57
2	विज्ञापन एवं प्रचार, प्रसार व्यय	47.39	75.10	38.53	29.87	28.24
3	राजस्थान जैव विविधता बोर्ड	94.00	109.46	102.00	145.00	120.00
4	राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन	16.26	75.46	0.00	0.00	0.00
6	विभागो द्वारा विशिष्ट सेवाओ पर व्यय	71.42	64.95	0.26	0.00	0.00
7	वेटलैण्ड ऑथोरिटी	75.87	11.81	0.88	13.14	0.16
8	सांभर लेक मैनेजमेंट ऑथोरिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
योग		**368.69**	**670.75**	**196.20**	**221.05**	**222.97**

आयोजना भिन्न व्यय (रूपये लाखो में)
(2021–22 से 2025–26 तक)

क्रं.सं.	मदवार विवरण	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	Up to November 2025
1	प्रशासनिक व्यय	126.88	127.39	107.39	84.67	59.06
योग		110.28	127.39	107.39	84.67	59.06

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

STATE WETLAND AUTHORITY

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE

वार्षिक प्रतिवेदन 2024–25

राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.09.2017 की पालना में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.11.2019 को राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बुद्धिमतापूर्ण उपयोग के संबध में उचित कार्यवही किये जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार के द्वारा गठित राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के तहत किये जाने वाले कार्यः–

1. निर्देशांको सहित यथार्थ डिजिटल मानचित्रों द्वारा समर्थित और जमीनी सत्यापन द्वारा विधिमान्य आर्द्रभूमि का सीमांकन।
2. इसके प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन और डिजिटल मानचित्र में संकेतित उसका भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि क्षेत्र।
3. पारिस्थितिक–स्वरूप का विवरण।
4. पूर्वतः विद्यमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का लेखा।
5. आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित किये जाने वाले स्थल–विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची।
6. विनियमों के प्रवर्तन की रीति।
7. प्राधिकरण, संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किये जाने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को सिफारिश करेगा।
8. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबधित और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से दो सौ चालीस दिन से अधिक की अवधि के भीतर राजपत्र में आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करेगी।
9. केन्द्रीय सरकार सीमा पार आर्द्रभूमियों के मामले में संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करने में संबध में संबधित राज्य सरकार एवं संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी।
10. संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर राज्य आर्द्रभूमि समिति आर्द्रभूमि को अधिसूचित किये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी।

11. राज्य सरकार संबधित और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात् समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से दौ सौ चालीस दिन से अधिक की अवधि के भीतर आर्द्रभूमियों को राजपत्र में अधिसूचित करेगी।
12. राज्य सरकार आर्द्रभूमियों से संबधित सूचना के लिए समर्पित वेब पोर्टल का सृजन करेगी।
13. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी अधिकारिता में की आर्द्रभूमियों के विषय में सभी संबधित सूचना अपलोड करेगी।

राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण :–

क्र.स.	नाम	पद
1	मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	अध्यक्ष
2	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	उपाध्यक्ष
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सयुंक्त शासन सचिव के पद से नीचे का ना हो, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार	पदेन सचिव
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सयुंक्त शासन सचिव के पद से नीचे का ना हो, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार	पदेन सचिव
5	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सयुंक्त शासन सचिव के पद से नीचे का ना हो, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार	पदेन सचिव
6	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सयुंक्त शासन सचिव के पद से नीचे का ना हो, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार	पदेन सचिव

7	प्रमुख शासन सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सयुंक्त शासन सचिव के पद से नीचे का ना हो, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार	पदेन सचिव
8	प्रमुख शासन सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सयुंक्त शासन सचिव के पद से नीचे का ना हो, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार	पदेन सचिव
9	प्रमुख शासन सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सयुंक्त शासन सचिव के पद से नीचे का ना हो, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार	पदेन सचिव
10	प्रमुख शासन सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सयुंक्त शासन सचिव के पद से नीचे का ना हो, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार	पदेन सचिव
11	सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सयुंक्त शासन सचिव के पद से नीचे का ना हो, वन विभाग, राजस्थान सरकार	पदेन सचिव
12	सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सयुंक्त शासन सचिव के पद से नीचे का ना हो, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार	पदेन सचिव
13	सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सयुंक्त शासन सचिव के पद से नीचे का ना हो, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	पदेन सचिव
14	अतिरिक्त प्रधान वन सरक्षंक, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, भारत सरकार	पदेन सचिव
15	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान	पदेन सचिव
16	सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	पदेन सचिव
17	सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड	पदेन सचिव

18	निदेशक, राज्य रिमोट सेंसिंग सेंटर,जोधपुर	पदेन सचिव
19	आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्य पालन, परिद्वश्य योजना एवं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में एक–एक विषय विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नामित किया हो।	नामित
20	निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, पर्यावरण विभाग	सदस्य सचिव

आय व्ययकः– वर्ष 2025–26 के लिए राशि रूपये 58.51 लाख का प्रावधान रखा गया है जिसमें माह दिसम्बर, 2025 तक राशि रूपये 2.09 लाख का व्यय हुआ है।

उपलब्धिया

1. उदयपुर शहर को भारत की पहली रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में घोषित किया गया।

2. राज्य में तीन नई रामसर साइट घोषित हुई।
   I. मेनार (उदयपुर)
   II. खींचन (फलोदी)
   III. सिलीसेढ़ लेक (अलवर)

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

Sambhar Lake
Management Agency

सांभर लेक मैनेजमेन्ट एजेन्सी
वार्षिक प्रतिवेदन 2024–25

सांभर लेक मैनेजमेन्ट एजेन्सी
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सांभर लेक मैनेजमेन्ट एजेन्सी

1. सांभरलेक मैनेजमेन्ट एजेन्सी सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटी है।
2. सांभरलेक मैनेजमेन्ट एजेन्सी का पंजीकृत कार्यालय निदेशालय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कक्ष संख्या 8325 उत्तर पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान है।
3. एजेन्सी का परिचालन क्षेत्र सांभर झील क्षेत्र एवं उसके आस पास का 1 किलोमीटर तक का क्षेत्र होगा।
4. एजेन्सी के उद्देश्य एवं कार्यः–
   i. सांभर झील को रामसर साइट के रूप में सुरक्षित एवं संरक्षित करना।
   ii. अपनी संपूर्ण आनुवंशिक विविधता के साथ झील के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना।
   iii. झील के सर्वांगीण विकास के लिए एकीकृत संसाधन प्रबंधन के लिए सर्वेक्षण योजना और परियोजना प्रस्ताव तैयार करना।
   iv. विभिन्न बहु–आयामी और बहु–क्षेत्रीय विकासात्मक गतिविधियों को स्वयं या किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से निष्पादित करना।
   v. झील के समग्र विकास के लिए राज्य, राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना।
   vi. झील के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित करना।
   vii. दीर्घकालिक बहु–विषयक अनुसंधान को बढावा देना, पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट तैयार करना और झील के लिए शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।
   viii. गतिविधिया :–
      - झरनों और नदियों के गाद भरण का नियंत्रण और उनकी गाद मुक्ति।
      - झील के जलग्रहण क्षेत्र का जलग्रहण प्रबंधन।
      - झील में वर्षा जल का अधिकतम प्रवाह और झील के पानी की लवणता प्रवणता को बनाए रखना
      - झील क्षेत्र और उसके आसपास खरपतवारों का वैज्ञानिक प्रबंधन।
      - झील के पानी का विवेकपूर्ण और टिकाऊ उपयोग।
      - वन्यजीव सहित वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण।
      - आर्द्रभूमि पक्षियों के आवास सुधार सहित झील क्षेत्र की पर्यावरण पुर्नस्थापना।
      - सुरक्षित सीमा के भीतर झील के स्तर का संयमन।

- पारिस्थितिकी रूप से अनुकूल और टिकाऊ घरेलू और अर्न्तराष्ट्रीय पर्यटन को बढावा देना।
- क्षेत्र का सामाजिक–आर्थिक विकास।

ix. समय समय पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन आयोजित करना और उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करना।

x. झील के संरक्षण और विकास से जुडे मानव संसाधन के प्रबंधन और पेशेवर कौशल को उन्नत करना।

xi. सांभर झील और इसके आसपास के क्षेत्रों का संरक्षण और विकास।

xii. झील के संरक्षण और विकास से जुडे मानव संसाधन के प्रबंधन और पेशेवर कौशल को उन्नत करना।

xiii. सांभर झील और इसके आसपास के क्षेत्रों के संरक्षण और विकास और विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग को बढावा देने के लिए राज्य के अन्य संस्थानों के साथ–साथ राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करना।

xiv. वेटलेण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 का अनुपालना सुनिश्चित करना।

xv. किसी भी चल या अचल संपति को उपहार, खरीद, विनिमय, पट्टे, किराये पर या अन्यथा प्राप्त करना और एजेन्सी की गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक निर्माण, सुधार, परिवर्तन विध्वंस या मरम्मत आदि कार्य करना।

xvi. एजेन्सी के उद्देश्य के लिए आहरण करना, स्वीकार करना, बनाना और समर्थन करना, भारत सरकार और अन्य वचन पत्र, विनिमय बिल, चैक या अन्य परक्राम्य लिखतों पर छूट देना और बातचीत करना।

xvii. अन्य सभी ऐसी चीजें करना जो अन्य सरकारों या एजेन्सियों के सहयोग के साथ या उसके बिना उपरोक्त सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आकस्मिक या अनुकूल हों।

एजेन्सी के गर्वनिंग बॉडी के सदस्यों का नाम, पदनाम, स्थति और हस्ताक्षर इस प्रकार हैः–

क्र.स.	नाम/पदनाम	स्थिति
1.	वन एवं पर्यावरण मंत्री, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव,राजस्थान सरकार	उपाध्यक्ष
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	पदेन सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उधोग विभाग	पदेन सदस्य

5	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	पदेन सदस्य
6	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
7	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग	पदेन सदस्य
8.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खान विभाग	पदेन सदस्य
9.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य
10.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग	पदेन सदस्य
11.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग	पदेन सदस्य
12.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग	पदेन सदस्य
13.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
14.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पीएचईडी विभाग	पदेन सदस्य
15.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग	पदेन सदस्य
16.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, भू–जल विभाग	पदेन सदस्य
17.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग	पदेन सदस्य
18.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	पदेन सदस्य
19.	कुलपति,राजूवास,बीकानेर	पदेन सदस्य
20.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(एचओएफएफ),राजस्थान	पदेन सदस्य
21.	मुख्य वन्यजीव वार्डन,राजस्थान	पदेन सदस्य
22.	आयुक्त, उधोग,राजस्थान	पदेन सदस्य
23.	प्रबंध निदेशक,रीकों,जयपुर	पदेन सदस्य
24.	सदस्य सचिव,राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड,जयपुर	पदेन सदस्य

25.	सदस्य सचिव,राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,जयपुर	पदेन सदस्य
26.	सीएमडी,सांभर साल्ट्स लिमिटेड,	पदेन सदस्य
27.	राष्ट्रीय वेटलेण्ड एजेन्सी के प्रतिनिधिक्र (अध्यक्ष,NWA द्वारा नामित)	पदेन सदस्य
28.	वनस्पति विज्ञान/जूलॉजी के क्षेत्र में दो(02)विशेषज्ञ (अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
29.	वेटलेण्ड प्रबंधन के क्षेत्र में 02 विशेषज्ञ (अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
30.	विशिष्ठ शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह सदस्य सचिव

(क) वार्षिक आम सभा की बैठकः–

1. एजेन्सी प्रत्येक वर्ष में एक बार 15 दिन की स्पष्ट सूचना पर सभी सदस्यों की सामान्य निकाय बैठक आयोजित करेगी। लगातार दो वार्षिक सामान्य निकाय बैठकों के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए।
2. बैलेंस शीट और ऑडिटर की रिपोर्ट को आम सभा की बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा।
3. वार्षिक आम सभा की बैठक में उपस्थित एजेन्सी के कम से कम एक तिहाई सदस्यों का कोरम पूरा होगा।
4. गर्वनिंग बॉडी के अध्यक्ष वार्षिक आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगें। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य निर्णय लेंगे और बैठक की अध्यक्षता के लिए एक सदस्य का चुनाव करेगें।

एजेंन्सी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कर्तव्यः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। वह बैठकें आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह एजेंसी की सभी परियोजनाओं को तैयार और पर्यवेक्षण करेगा और उनके सफल समापन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। वह विभिन्न विभागों के परामर्श से संचालन की वार्षिक योजना भी तैयार करेगा और इसे सामान्य निकाय से अनुमोदित करवाया जायेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कर्तव्य इस प्रकार हैंः–

I. एजेंसी द्वारा कार्यान्वित कार्यों और अन्य परियोजनाओं, कार्यक्रमों के संबंध में तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय दिशानिर्देश, निर्देश और अनुमोदन तैयार करना और प्रसारित करना।

II. एक मिशन दस्तावेज़ तैयार करना जिसमें एजेंसी के विशिष्ट लक्ष्यों, अपनाए जाने वाले कार्यक्रमों और किए जाने वाले कार्यों की रणनीतियों और पूर्व निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय–सीमा बताई जाएगी।

III. सोसायटी की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों और सोसायटी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अन्य कार्यक्रमों को संचालित करना।

IV. गर्वनिंग बॉडी के निर्देशों और निर्णयों की क्रियान्वित और प्रभावी ढंग से लागू करना।

V. ऐसी शक्ति का प्रयोग करना, जो समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो।

VI. सोसायटी का संचालन नियमावली तैयार करना और कार्यान्वित करना।

VII. परिचालन की वार्षिक योजना तैयार करें और इसे सामान्य निकाय की बैठक में अनुमोदित कराएं।

VIII. गवर्निंग बॉडी या सरकार द्वारा एजेंसी के कामकाज के लिए निर्धारित नियमों और विनियमों के ढांचे के भीतर समाज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ऐसे सभी कार्य करना।

एक्जीक्यूटिव कमेटीः उक्त कमेटी के सदस्य निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	नाम/पदनाम	स्थिति
1.	विशिष्ठ शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।	अध्यक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
2.	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,ADM,जयपुर	पदेन सदस्य
3.	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ADM,अजमेर	पदेन सदस्य
4	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ADM,नागौर	पदेन सदस्य
5	प्रतिनिधि, पर्यावरण विभाग	पदेन सदस्य
6	प्रतिनिधि, उधोग विभाग	पदेन सदस्य
7	प्रतिनिधि, स्वायत्त शासन विभाग	पदेन सदस्य
8.	प्रतिनिधि, वन विभाग	पदेन सदस्य
9.	प्रतिनिधि, पशुपालन विभाग	पदेन सदस्य
10.	प्रतिनिधि, खान विभाग	पदेन सदस्य
11.	प्रतिनिधि, जिला कलक्टर जयपुर/अजमेर/नागौर	पदेन सदस्य
12.	प्रतिनिधि, पंचायती राज विभाग	पदेन सदस्य
13.	प्रतिनिधि, AVVNL/JVVNL	पदेन सदस्य
14.	प्रतिनिधि, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
15.	प्रतिनिधि, पर्यटन विभाग	पदेन सदस्य
16.	प्रतिनिधि, कुलपति, राजूवास, बीकानेर	पदेन सदस्य
17.	प्रतिनिधि वन्यजीव, वन विभाग, राजस्थान	पदेन सदस्य
18.	प्रतिनिधि,राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,जयपुर	पदेन सदस्य
19.	प्रतिनिधि,सांभर साल्ट्स लिमिटेड,	पदेन सदस्य
20.	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुख्यालय)	सदस्य सचिव

आय–व्ययकः– वर्ष 2022–23 में सांभर लेक मैनेजमेण्ट एजेन्सी के पी.डी. खाते में राशि रूपये 343.00 लाख स्थानान्तरित किये गये थे जिसमे वर्ष 2024–25 माह दिसम्बर तक राशि रूपये 41.00 लाख का व्यय हुआ तथा पी.डी. खाते में शेष राशि रूपये 302.00 लाख है। बजट वर्ष 2025–26 में राशि रूपये 100.00 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें 50.00 लाख रूपये पी.डी. खाते में हस्तांतरित किये गये तथा दिसम्बर, 2025 एजेन्सी के पी.डी. खाते में राशि रूपये लाख शेष है।

उपलब्धियॉः–

1. सांभर झील के प्रबंधन हेतु समेकित कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है।
2. सांभर झील के सीमांकन एवं सीमा निर्धारण हेतु जमीनी सत्यापन कर सीमांकन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
3. सांभर झील क्षेत्र में निरन्तर रूप से IEC Activities के माध्यम से जन भागीदारी को बढावा दिया जा रहा है।
4. सांभर झील के बेहतर संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन के लिए एवियन बॉटलिज्म से निपटने हेतु एक SOP तैयार कर जारी की गई।

गतिविधियॉः–

1. सांभरलेक मैनेजमेन्ट एजेन्सी की गर्वनिंग बॉडी की दो बैठक एवं एक्जीक्यूटिव बॉडी की पाँच बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।
2. सांभरलेक मैनेजमेन्ट एजेन्सी का प्रारूप और मैनेजमेन्ट प्लान तैयार कर जारी कर दिया गया है। जिसके अनुरूप संरक्षण एवं विकास के कार्य किये जा रहे है।
3. सांभर झील एवं उसके आस पास के क्षेत्रों में निरन्तर रूप से अनाधिकृत अतिक्रमणों पर कार्यवाही की जा रही है।
4. सांभर झील के बेहतर प्रबंधन हेतु दिनांक 01.09.2023 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

सांभर मैनेजमेण्ट एजेन्सी में पदो का विवरण :–

क्र.स.	पद	संख्या	संवर्ग	प्रकार	पे–स्केल
1	सेटलमेन्ट अधिकारी	1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	प्रतिनियुक्ति	L-21
2	नायब तहसीलदार	1	राजस्थान तहसीलदार सेवा	प्रतिनियुक्ति	L-11
3	लेखाधिकारी–प्रथम	1	अधीनस्थ लेखा सेवा	प्रतिनियुक्ति	L-12
4	कनिष्ठ लेखाकार	1	अधीनस्थ लेखा सेवा	प्रतिनियुक्ति	L-10
5	निजी सहायक	1	सचिवालय संवर्ग / प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति	L-11
6	रेंज अधिकारी–प्रथम	1	राज्य वन सेवायें	प्रतिनियुक्ति	L-11
7	पटवारी	2	राजस्व विभाग	प्रतिनियुक्ति	L-5
8	ड्राफ्टमैन	1	राजस्व विभाग	प्रतिनियुक्ति	L-8
9	सर्वेयर	1	राजस्व विभाग	प्रतिनियुक्ति	L-8
10	सूचना सहायक	2	राज0 कम्प्यूटर सेवा	प्रतिनियुक्ति	L-8
11	एस.एस.ओ.	1	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	प्रतिनियुक्ति	L-16
12	जे.एस.ओ.	2	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	प्रतिनियुक्ति	L-12
13	प्रयोगशाला सहायक	2	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	प्रतिनियुक्ति	L-5
14	वनपाल	1	वन विभाग	प्रतिनियुक्ति	L-8
15	वन रक्षक	4	वन विभाग	प्रतिनियुक्ति	L-4
कुल पद		22			